तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
26/5/16	श्री प्रा. नि. 1948 [illegible] में [illegible] कारण आज दिनांक 26/5/16 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की पुनर्सुनवाई दिनांक 6/5/16 को की जावेगी।	
25-5-16	पलावती आज न्याय आपके द्वारा अभियान के अन्तर्गत अदालत सेवा केन्द्र केवाड़ा में प्रकट हुयी। पक्षकारान [illegible] नहीं हुये। तत्पश्चात् ग्राम कोरीपुरा [illegible] उप) [illegible] ग्राम से [illegible] संख्या 19 दिनांक 15-6-68 [illegible] तहसील भोकरदन से जाँच की गई। जाँच से यह तथ्य सामने आया कि मवन S/o जोधा जाति जाटव [illegible] पूर्व ही हो चुका है उसके तीन पुत्र लोताराम, पदमादी एवं [illegible] की उन तीनों की मृत्यु हो चुकी है। लोताराम पदमपुरा ([illegible]) में बचपन से ही रहता था वर्तमान में गाँव में नहीं रहता है गाँव में दो भाईयों के वारिसान वैकपोजेंटस निवास करते हैं लोताराम के वारिसान पदमपुरा ([illegible]) में रहते हैं उक्त जाँच से यह स्पष्ट किया है कि अपीलांट सूरज मवन के पुत्र लोताराम के पुत्र, पुत्री, पोते हैं। लोताराम के लड़के [illegible], चिरंजी, [illegible], रामचरण का भी स्वर्गवास हो चुका है। अपीलांट सूरजभान के वारिसान हैं ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामा सं. 19 दिनांक 15-6-68 ग्राम कोरीपुरा तहसील भोकरदन निरस्त किया जाकर तहसीलदार भोकरदन को निर्देश दिये जाते हैं कि वह सूरज मवन S/o जोधा का पुत्र नियमानुसार विवाकृत नामान्तरण अपीलांट की रजा लाते हुये कर जाकर नामान्तरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार भोकरदन को भेजी जावें। पलावती [illegible] कुमार [illegible] के [illegible]	[illegible] 1338-40 25-5-16